20/01/26

पत्रा० पेश हुआ। प्रार्थी वकील उप०। मूल वाद पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212 RTI का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रा० इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।